बिहार सरकार

उद्योग विभाग

आगे आयें!

महात्मा गॉधी बुनकर बीमा योजना

लाभ उठायें!!

बुनकरों के लिए खुशखबरी

योजना की विशेषता :–

- हस्तकरघा बुनकरो को स्वभाविक/दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण एवं आंशिक अपंगता के मामले में बीमा कवर।
- **बीमा हेतु लाभुकों को प्रीमियम नहीं देना है।**

पात्रता :–

- बुनकर हस्तकरघा बुनाई से अपनी आय का कम से कम 50 प्रतिशत अर्जित करता हो।
- 18–59 वर्ष के आयु वर्ग के बीच सभी पुरूष/महिला बुनकर इस योजना के तहत शामिल किये जाने के पात्र है।
- राज्य हस्तकरघा विकास निगमों/शीर्ष/प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के बुनकर इस योजना के तहत कवर किये जायेंगे। सहकारी समितियों से बाहर के बुनकर भी इस योजना के तहत शामिल किये जा सकेंगे, बशर्ते कि वे पात्रता की शर्ते पूरी करते हो।

बीमा कवरेज की मुख्य बाते :–

- बीमा लाभ हेतु प्रत्येक लाभार्थी को अपना आवेदन सह नामांकन पत्र भरना होगा। और उसे नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत करना होगा।

वार्षिक प्रीमियम

भारत सरकार का अंशदान	290/–रू0
भारतीय जीवन बीमा निगम का अंशदान	100/–रू0
बुनकर का अंशदान	80/–रू0
कुल प्रीमियम	470 /–रू0

नोट – बुनकर अंशदान की पूरी राशि 80/–रू0 राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

लाभ

स्वाभाविक मृत्यु	60,000/–रू0
दुर्घटना के कारण मृत्यु	1,50,000/–रू0
पूर्ण अपंगता	1,50,000/–रू0
आंशिक अपंगता	75,000/–रू0

दावा प्रक्रिया –

1. दुर्घटना से संबंधित दावों के मामले में पुलिस जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी

2. मृतक सदस्य के लाभार्थी को मृत्यु प्रमाण–पत्र मूल रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम को समर्पित करना होगा।

अतिरिक्त लाभ :–

योजना में कवर बुनकर के दो बच्चों को लिंग आधारित भेद–भाव के बिना 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले या 12वीं कक्षा पूर्ण करने तक इसमें से जो भी पहले हो, प्रति छात्र को 300/–रू0 प्रति तिमाही की दर से छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है। छात्रवृति शैक्षणिक वर्ष जून से मई के लिए दी जायेगी।

अधिक जानकारी एवं आवेदन–सह–नामांकन पत्र मुफ्त में प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें –

- संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।
- उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) हस्तकरघा सघन विकास योजना – गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर।
- सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियॉ, नबाव बहादुर रोड, गुलजारबाग, पटना।
- विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उपयोग में लाया जा सकता है।

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,